अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0.....सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 08–113/2013

अपीलार्थी – बेचनी देवी

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार

आदेश

प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1795/प्रो0 दिनांक 20.12.2012 के विरूद्ध हस्तांतरित होकर इस न्यायालय में दायर किया गया है।

इस अपीलवाद में आरोप यह है कि दिनांक 25.07.2012 को 11:30 बजे महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती किरण कुमारी बसन्तपुर ने मरौना परियोजना के केन्द्र सं0– 33 अल्पसंख्यक केन्द्र केन्द्र कटैया का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय केन्द्र की सेविका श्रीमती रविना खातुन लाभुक बच्चों 38 के साथ केन्द्र पर उपस्थित मिली किन्तु केन्द्र की सहायिका श्रीमती बेचनी देवी अनुपस्थित पाई गई।

सहायिका श्रीमती बेचनी देवी को निरीक्षण तिथि को केन्द्र से अनुपस्थित रहने के आरोप में कार्यालय ज्ञापांक 1218 दिनांक 24.08.2012 से स्पष्टीकरण पूछा गया, तथा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 31.08.2012 को देने हेतु निर्देशित किया गया। निर्धारित तिथि को सहायिका ने अपना स्पष्टीकरण दिया। अपने स्पष्टीकरण में उन्होने बताया कि निरीक्षण तिथि 25.07.2012 के एक दिन पूर्व 24.07.2012 को सुबह घर में बेहोश होकर गिर पड़ी लोगों

ने मुझे बेहोशी की हालत में निर्मली अस्पताल के डॉ0 राम प्रसाद यादव क्लिनिक में भर्ती कराया जहाँ मैं दिनांक 25.07.2012 तक अपना बेहतर ईलाज कराई चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि सहायिका नियमित रूप से केन्द्र पर जाती रही जो उनके केन्द्र में रखें निरीक्षण पंजी के अवलोकन करने से पता चलता है कि सहायिका अपने कार्य के प्रति काफी मुस्तैद व जबावदेह महिला है, अब अचानक किसी दिन अत्यधिक तबीयत खराब घर पर ही बेहोश होकर गिर जाने की स्थिति केन्द्र के सहायिका को पद से चयन मुक्त करना पुरी तरह गलत व असंवैधानिक कदम है। कम–कम से चिकित्सक का प्रमाण पत्र पर तो भरोसा करना चाहिए, नहीं संभव था तो उसकी जाँच केन्द्र के लाभुक वर्ग के लोगो से तो किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया जबकि विभागीय मार्गदर्शिका। माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना के कई मामले में स्पष्ट आदेश है कि संभव हो तो किसी सटीक नतीजे पर पहुँचने के पहले उसकी उचित जाँच करवा ले, जो नहीं किया गया। अतः निम्न न्यायालय का आदेश को खंडित किया जाना चाहिए।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि कुछ समय के लिए ही इस न्यायालय से पहले जिला पदाधिकारी सुपौल के न्यायालय में सुनवाई के क्रम में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल ने अपने पत्रांक 584 दिनांक 06.05.2013 के केन्द्र सं0– 33 परियोजना मरौना से जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित माँग किए थे, जिसके अनुपालन में सी0डी0पी0ओ0 मरौना ने अपने पत्रांक 193 दिनांक 05.06.2013 द्वारा प्रतिवेदित किए कि चयन मुक्त सहायिका बेचनी देवी नियमित रूप से केन्द्र पर आती थी (निरीक्षण पंजी के आधार पर) दिनांक 25.07.2012 को अचानक तबीयत खराब (बेहोश हो जाने के फलस्वरूप) निर्मली ईलाज हेतु चली गई आम लोगो ने चयन मुक्त सहायिका के प्रति सहानुभुति दिखाई चयन मुक्त को निरस्त किया जा सकता है। लाभुको का बयान भी अवलोकन किया गया जिसमें अंकित है कि सहायिका काम सही ढ़ंग से करती थी।

इस संबंध में सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि तबीयत खराब हो जाने की सूचना सहायिका को दुरभाष या अन्य श्रोत से भी देना चाहिए था, जो नहीं किया गया जो उनके लापरवाही मनमाने पन को प्रदर्शित करता है ।

उपर्युक्त सारे विवेचनाओं निष्कर्षो के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि ठीक है कि सहायिका 25.07.2012 निरीक्षण तिथि को नहीं आई थी, किन्तु केन्द्र खुला था, सविका उसकी अनुपस्थिति में भी सारे दायित्वो को निभा रही थी

केन्द्र पर लाभुक बच्चें 38 थे जिसमें 36 नामांकित थे, जो यह बताता है कि पूर्व में केन्द्र का संचालन सेविका /सहायिका को सहयोग से अच्छा व नियमित चलता होगा? जो सेविका /सहायिका के मेहनत का फल है, किसी भी दिन किसी का भी अचानक अस्वस्थ हो जाना एक शारीरिक प्रकिया है, अतः अचानक बेहोश होकर गिर जाना एवं बेहतर ईलाज के चिकित्सक के पास जाना तो सहायिका की पहली प्राथमिकता माननी चाहिए, अतः यह न्यायालय अपनी बेहतर ईलाज के लिए अनुपस्थिति के इतने कड़े दंड चयन मुक्ति का पक्ष में नहीं है, सहायिका को एक मौका दिया जाना चाहिए । अतः निम्न न्यायालय के आदेश ज्ञापांक 1795 /प्रो0 दिनांक 20.12.2012 को खंडित करते हुए आदेश निर्गत के तिथि से सहायिका को अपने पद पर चेतावनी के साथ योगदान देने हेतु निर्देश देती है। साथ ही भविष्य के लिए अनुरोध है कि अभी high-tech युग में अनुपस्थिति की सूचना स्थानीय मुखिया / वार्ड सदस्य /सी0डी0पी0ओ0 को कम–क्रम से कम दुरभाष या लिखित रूप में देकर ही कही प्रस्थान करें।

लेखापित एवं संशोधित

21.1.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

21.1.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा